


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—::कार्यालय आदेश::—

राजस्थान शिक्षा के निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं	नम व पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	अवधि	जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है
1	श्रीमती रश्मी महर्षि राउमावि रामपुरा उटी सांगानेर जयपुर	01 जुलाई 2015 से 3 अगस्त 2015 तक कुल 34 दिवस	बालिका छोटी चौपड़, जयपुर व्या.गृह विज्ञान के रिक्त पद के विरुद्ध

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।




संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 23/10/2019

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/वेतनव्यवस्था/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित उप निदेशक (माध्यमिक) जयपुर।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर।
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रामपुर उटी, सांगानेर/बालिका छोटी चौपड़ जयपुर।
4. सम्बन्धित प्राध्यापक.....।
5. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्युटर अनुभाग।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर